न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 237/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/302)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरप्रीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	1. गजन सिंह पुत्र मिलखा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरेन्द्र सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 3. प्यारा सिंह पुत्र मिलखा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.07.2023

उपस्थितः1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

—निर्णय— **दिनांकः 26.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 35, 60/17 की कुल 6.171 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एंव प्रतिवादीगण ने काश्त सहूलियत के लिए घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारा के रोज से बंटवारानामा में प्राप्त भूमि पर वादीगण का कब्जा लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है। लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण एवं वादी के कब्जा व काश्त की भूमि दूसरे खाता में दर्ज होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण आज से 5 रोज पूव प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 35, 60/17 की कुल 6.171 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 2 वी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 13, 19, 21, 22 कुल 3.086 हैक्टेयर का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट बन्द किया गया। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादपत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 35, 60/17 की कुल 6.171 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी हरप्रीत सिंह व प्रतिवादीगण गजन सिंह, गुरेन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 2117 दिनांक 08.08.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 2 वी प्रथम, पटवार हल्का 7 एस, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 35, 60/17 की कुल 6.171 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
गजन सिंह पुत्र मिलखा सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। (1.543 हैक्टेयर) गुरेन्द्र सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। (1.543 हैक्टेयर)	2 वीं प्रथम	35	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			2, 3	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			8, 9	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			12, 13	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			22	0.100 हैक्टेयर	नहरी	0.89
		60/17		0.101 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

ष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना ावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर म्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)